कार्यालय प्रमुख अभियंता,
म.प्र. लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल (म.प्र.)

website : www.mp.gov.in/pwdmp email : pwdbhop@mp.nic.in
phone – 0755-2551485, fax – 2556527

क्रमांक 401/एम.डी.आर./निविदा /2017–18/1303 भोपाल,दिनांक 18.08.17

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषयः– दिनांक 01.07.2017 के पश्चात प्राप्त निविदाओं को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करने बाबत्।

संदर्भ :– प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय के आदेश दिनांक 16 अगस्त 2017

––00––

विषयांतर्गत संबंध में लेख है कि दिनांक 01.07.2017 से जी.एस.टी. लागू हो जाने के फलस्वरूप निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैः–

1. दिनांक 01.07.17 से दिनांक 05.08.17 तक प्राप्त निविदाओं में से विचाराधीन निविदाओं को तत्काल निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित कि जावे।
2. जिन निविदाओं पर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LOA) जारी हो गया तथा जिनपर अनुबंध संपादित किया जाना शेष है, ऐसे निविदा प्रकरणों में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LOA) निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करें।
3. रिस्क एण्ड कास्ट पर आमंत्रित निविदा प्रकरणों को यथास्थिति रखा जावे।
4. निरस्त किए जाने वाले निविदा प्रकरणों में भाग लेने वाले निविदाकार यदि पुनः उक्त कार्य की निविदा प्रकिया में भाग लेते है तो उनसे निविदा फार्म की राशि (Tender Cost) न ली जावे।
5. एस.बी.डी. पर आमंत्रित की गयी निविदाओं के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जाएगें।

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, भोपाल(म.प्र.)

पृ. क्रमांक 401/एम.डी.आर./निविदा /2017–18/1304 भोपाल,दिनांक 18.08.17

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. मुख्य अभियंता(प्रोक्यूरमेंट) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
3. समस्त अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश।
4. समस्त कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश।
5. नोडल ऑफिसर, ई–टेण्डरिंग, स्टेट आई.टी. सेंटर, भोपाल (म.प्र.)

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, भोपाल(म.प्र.)